न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 27/2016

खुदाबक्श पुत्र जलाल खां जाति मुसलमान साकिन चक 8 जैड.डब्ल्यू.एम.

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व, घड़साना
2. वेदबक्श उर्फ बहदबक्श पुत्र गुलाम कादर साकिन 5 एम एल डी तहसील घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री जुल्फकार खान
2. अधिवक्ता अप्रार्थी श्री तिलक चुघ

निर्णय दिनांकः 21.12.2017

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलान्ट के नाम से तहसील घड़साना के चक– 2 एस. टी.वाई. का मुरब्बा नं. 89/42 की 8 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि आवंटित हुई थी। अपीलान्ट के ताऊ कमाल खां अपने जीवनकाल में अविवाहित ही फौत हो गया था। उसके बाद कमाल खां के तीन भाई सदु उर्फ सतू खां, सोना खां, अपीलान्ट का पिता जलाल खां ही थे। कमाल खां के तीनो भाईयों का देहांत हो चुका है। कमाल खां के भाईयों के देहांत के पश्चात् अपीलान्ट व उसका परिवार, भाई, ताऊ, बेटा गुलाम कादर के वारिसान वेदबक्श आदि ही रह चुके है। अपीलान्ट के ताऊ के पुत्र गुलाम कादरका भी देहांत हो चुका है। अपीलान्ट के ताऊ की उक्त कृषि भूमि की प्रार्थी के ताऊ के बाद ताऊ के बेटे रेस्पोडेंट संख्या 2 वेदबक्श पुत्र गुलाम कादर ने फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार कर उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या–1 से मिलीभगत कर इंतकाल अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई सफाई का अवसर नहीं दिया तथा ना ही अपीलान्ट को पक्ष रखने का मौका दिया गया है।

   अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि के मौका कब्जा संबंधित कोई जांच नहीं करवायी एवं अपीलान्ट के ताऊ मृतक कमाल खां का मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण पत्र की जांच भी नहीं करवायी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है। अपील अपीलान्ट के अपील देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5, मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि उसे सर्वप्रथम दिनांक 03.05.2016 को पटवारी हल्का के माध्यम से अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात् अपील बिना किसी देरी से दिनांक 04.05.2016 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना देरी किये प्रस्तुत की है। अपील अपीलान्ट ने देरी सद्भाविक तथा क्षमा योग्य मानते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दर्ज रजिस्टर की गयी। अपील के संलग्न धारा 5 मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलान्ट जरिये वकील उपस्थित आये।

3. वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 03.05.2016 को पटवारी के माध्यम से हुआ, जब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर बिना किसी देरी के दिनांक 04.05.2016 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी, इसलिए अपील पेश करने की देरी सद्भाविक तथा क्षमा योग्य मानते हुए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे।

जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

4. हमने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित बिन्दु व वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में देरी का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.1993 को पारित है, जिसका ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 03.06.2016 को होना, यानि लगभग 23 वर्ष पश्चात ज्ञान होना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलान्ट ने देरी का कोई ठोस कारण के संबंध में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हो। प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner